प्रतिलिपि आदेश दिनांक 9-5-14 पारित द्वारा श्री अशोक शिवहरे सदस्य राजस्व मण्डल म०प्र० ग्वालियर प्र०क्र० नि० 4408-तीन/14 विरुद्ध आदेश दिनांक 18-7-12 पारित द्वारा तहसीलदार गढ़ाकोटा तह० गढ़ाकोटा जिला सागर प्र०. 5/अ-12/11-12.

हल्छेलाल उर्फ संतोष पिता रामेश्वर कुर्मी
निवासी ग्राम पिपरिया कला तह० गढ़ाकोटा
जिला सागर म०प्र० अन्य-1. --- आवेदकगण

विरुद्ध

एक भरत पिता कटोरीलाल कुर्मी
निवासी सिमरिया पुर तहसील गढ़ाकोटा
जिला सागर अन्य-1. --- अनावेदकगण

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

निगरानी प्रकरण क्रमांक : 4408/III/14 जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
९.८.२०१४	यह निगरानी तहसीलदार गढ़ाकोटा जिला सागर द्वारा प्रकरण क्रमांक 5 अ 12/11–12 में पारित आदेश दिनांक 18–7–12 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 28–11–13 को म0प्र0भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।	
	2/ निगरानी में उठाये गये बिन्दुओं पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क श्रवण किये गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया।	
	3/ निगरानीकर्ता के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्कों पर विचार करने एंव उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से पाया गया कि यह निगरानी आदेश दिनांक 18–7–12 के विरूद्ध 28–11–13 को अर्थात 152 दिवस वाद प्रस्तुत है जबकि इस हेतु समय सीमा 60 दिवस निर्धारित है 152–60 = 92 एंव नकल प्राप्ति में व्यतीत समय 2 दिवस 92–2= 90 दिवस विलम्ब से प्रस्तुत होना पाई गई है। अवधि विधान की धारा–5 में विलम्ब हेतु दिये गये कारण इसलिये समाधानकारक नहीं हैं क्योंकि राजस्व निरीक्षक एंव पटवारी ने दिनांक 22.6.12 को ग्राम सिंगपुर कलॉ में मौके पर पहुंचकर ग्राम के चौकीदार एंव अन्य पंचगणों के सामने भूमि सर्वे नंबर 99 रकबा 0.03 है. का सीमांकन किया है जिसमें चॉदा, मुनारो से मिलान कर पंचों के	

समक्ष मौके पर दीरा गढ़वाये हैं एवं मौके पर तैयार किये पंचनामे पर आवेदक अच्छेलाल उर्फ संतोष के पंचनामे पर संतोष लिखकर हस्ताक्षर हैं । राजस्व निरीक्षक गढ़ाकोटा द्वारा सीमांकन उपरांत दिये गये प्रतिवेदन अनुसार संतोष वल्द रामेश्वर , राजाराम का सीमांकित भूमि के अंश भाग पर जबरन कब्जा है। इसके अतिरिक्त ऐसे अतिक्रमणकर्ताओं के विरुद्ध तहसीलदार गढ़ाकोटा के न्यायालय में प्रकरण क्रमांक 2 अ 27/12-13 संहिता की धारा 250 के अंतर्गत प्रचलित होकर आदेश दिनांक 27-[illegible]-13 से आवेदक संतोष कुमार पुत्र रामेश्वर के विरुद्ध बेदखली के आदेश हुये हैं, तब यह नहीं माना जा सकता कि वादग्रस्त भूमि के सीमांकन उपरांत पंचगणों के समक्ष वीरा (पत्थर फर्शी) गढ़वाने पर भी सीमांकन का का पता आवेदकगण को यथासमय नहीं चल सका। अवधि विधान की धारा-5 के तथ्य इन्हीं कारणों से संतोषजनक व समाधानकारक नहीं है।

4/ उपरोक्त कारणों रो निगरानी 90 दिवरा विलम्ब रो प्रस्तुत करने एंव विलम्ब का कारण सदभाविक न पाये जाने से निरस्त की जाती है। पक्षकार टीप करें। अधीनस्थ न्यायालय को आदेश की प्रति भेजकर प्रकरण रिकार्ड रूम में जमा किया जावे।

सदस्य